


600 01/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 566402



श्री सूर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान

न्यास विलेख (Instruction of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 11.05.2011 को ग्राम पित्थौरपुर, पोस्ट-रेण्डा, आजमगढ़ में श्री दयाशंकर सिंह पुत्र श्री सूर्यनाथ सिंह, ग्राम-पित्थौरपुर, पोस्ट-रेण्डा, विकास खण्ड- पलहना, तहसील - मेहनगर, जिला-आजमगढ़ उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया।

जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 5100/(पाँच हजार एक सौ रुपये मात्र की राशि है। जिसे की वह पुरुषार्थ सामाजिक कार्यों हेतु दान की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट श्री सूर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकार, ऋण, आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5100/-रु० (पाँच हजार एक सौ रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम-पित्थौरपुर, पोस्ट-रेण्डा, विकास खण्ड-पलहना, तहसील - मेहनगर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-पित्थौरपुर, पोस्ट-रेण्डा, विकास खण्ड-पलहना, तहसील-मेहनगर, जिला-आजमगढ़, उ०प्र० होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

कमरा:2

प्रबन्धक/सचिव
श्री सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
पित्थौरपुर-आजमगढ़

12/12/2011

(59)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 566403

2

श्री सुर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान
 (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य नियमावली -

ट्रस्ट के उद्देश्य- ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

- 1- बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों सर्वेक्षण केन्द्र, पालिटेक्निक एवं इन्जियरिंग कालेज, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण विकास, सम्बद्ध आवद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आवद्ध पंजीकृत, अनुमोदित स्वीकृत करा सकता।
- 2- ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
- 3- खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
- 4- कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
- 5- उद्यानीकरण एवं जंगलजात का विकास करना।
- 6- महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।
- 7- प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
- 8- कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
- 9- केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कर्पाट, सामाजिक न्याय, एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।
- 10- आई0आई0टी0, आई0टी0आई0फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्निशियन लैब, टेक्निशियन, फिजीयोंथीरेपी, आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
- 11- समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनलर स्टोर, किराना स्टोर की दुकान फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
- 12- पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना

(Signature)
 प्रबन्धक/सचिव
 श्री सुर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान
 चिनहास

शेष पृष्ठ तीन पर

58



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

AP 566404

- 13- अंधे, गूने, बहरे, असहाय लोगों के लिए दीक्षा विक्रित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
- 14- विभिन्न विषयों एवं पाठयक्रमों तथा व्यावहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक वैज्ञानिक, क्रीड़ा मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
- 15- विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।
- 16- पुस्तकों साहित्य पत्र पाठयक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन, मुद्रण आदि कर सकना।
- 17- सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकें विशेष कक्षायें सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
- 18- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्किनी प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
- 19- व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
- 20- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
- 21- विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार-प्रसार कर सकना।
- 22- आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
- 23- कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना।
- 24- पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
- 25- एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।
- 26- पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं समाचार पत्र आदि को प्रकाशित सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना।
- 27- ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवायें वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
- 28- पत्राचार द्वारा अध्यापन अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।

शेष पृष्ठ चार पर

प्रबन्धक / सचिव
 सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
 धिनाहापुर-आजमगढ़

(57)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 566405

4

- 29- उपभोगता अधिकार, पर्यावरण, सुधार उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्वों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
- 30- धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
- 31- जनकल्याण हेतु विधिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना।
- 32- विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
- 33- विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
- 34- ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजित करना, तथा उस ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रवेश करना।
- 35- ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडण्जा तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार-प्रसार कर सकना।
- 36- ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।
- 37- ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही व्यय करेगा।
- 38- किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लिनिक का निर्माण करना।
- 39- उद्देश्यों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना, फल एवं औषधि व खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
- 40- संगठन को मजबूत एवं कियाशील बनाने के लिये जिला प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
- 41- दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
- 42- घरना प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना।
- 43- शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हास्टलों का निर्माण करना।
- 44- संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम किया कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना।

शेष पृष्ठ पॉच पर

सूर्यनाथ सिंह स्मृति
धिनहापुर-...

...

(56)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 566406

5

45- देशी गाय एवं बैलों का संवर्धन एवं विकास के लिए कार्य करना तथा देशी गाय के गौमूत्र एवं गोबर से दवा एवं आधुनिक खाद बनाना।

प्रारम्भिक उप बंध-

- 1- वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से श्री दयाशंकर सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
- 2- यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह जी द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो श्री दयाशंकर सिंह की मृत्यु के पश्चात अमय कुमार सिंह पुत्र श्री राकेश कुमार सिंह इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।
- 3- वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण।
- 4- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
- 2- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
- 3- किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे तो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के प्रदत्त किया गया।
- 4- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- 5- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

शेष पृष्ठ छः पर


 प्रपञ्च साधव
 प्रपञ्च सिंह साधव
 दिनहापुरा, जालंधर

दयाशंकर सिंह

(55)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

AP 566412

- 6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
- 7- कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
- 8- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकार को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।
- (4) **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज** - पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण
- 1- श्री उमाशंकर सिंह पुत्र श्री स्व० सूर्यनाथ सिंह
 - 2- श्री राकेश कुमार सिंह पुत्र श्री उमाशंकर सिंह
 - 3- श्री अखिलेश कुमार सिंह पुत्र श्री उमाशंकर सिंह
 - 4- श्री अक्षय कुमार सिंह पुत्र श्री राकेश कुमार सिंह
 - 5- श्री अनय कुमार सिंह पुत्र श्री राकेश कुमार सिंह
 - 6- श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व० पंचदेव सिंह
 - 7- श्रीमती प्रतिमा सिंह पत्नी श्री राकेश कुमार सिंह
 - 8- श्रीमती सुधा सिंह पत्नी श्री अखिलेश कुमार सिंह
 - 9- श्रीमती लीलावती देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह
- 15- बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य उमाशंकर सिंह के पुत्रगण बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के आजीवन ट्रस्टी के सदस्य होंगे एवं उत्तराधिकारी होंगे
- 1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष यदि उचित समझें तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पदाधिकारी /उपाध्यक्ष/सचिव/उप सचिव का गठन कर सकता है। जिसमें अधिकतम सम्पूर्ण संख्या 21 हो।
- 2- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्य समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
- 3- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक कर सकता है इसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

शेष पृष्ठ सात पर

(Handwritten Signature)
 प्रिन्सिपल/सचिव
 सूर्यनाथ सिंह
 धिनाहापुर

(Handwritten Signature)

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

933893

7

- 4- यह कि बोर्ड ऑफ स्टडीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- यह कि बोर्ड ऑफ स्टडीज किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
- (5) (अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं)
- 1- यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- 2- यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- (6) कार्य क्षेत्र :- ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।
- (7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-
मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।
- (8) सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति :-
1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक सचिवों की नियुक्ति कर सकता है।
2- यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जायेगा।

सचिव
सूर्यनाथ सिंह
पिनहापुर

शेष पृष्ठ आठ पर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AA 635151

9

- 1- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
 - 2- ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
 - 3- ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु नियुक्ति, पदमुक्त तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक / प्रशंसात्मक कार्यवाही करना।
 - 4- विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु, कोष्ठों/विभाग केन्द्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उसके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उप नियम बना सकना।
 - 5- ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना।
 - 6- एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की दशा में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
 - 7- प्रचार-प्रसार/मुद्रण / प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
 - 8- जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को करना।
- (13) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:-
- 1- सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
 - 2- सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उनको लिखित रूप से प्राप्त है।
 - 3- सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।
- (14) बैंक एकाउण्ट

- 1- ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
- 2- ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से पृथक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

प्रधान/सचिव
सूर्यनाथ सिंह
धिनहापुर

शेष पृष्ठ दस्त पर

दस्तावेज (1/1/1)

(59)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AA 635152

10

(14) विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/ट्रस्ट के तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

(15) सम्पत्ति सम्बन्धी:-

- 1- ट्रस्ट चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
- 2- ट्रस्ट चल की ओर से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
- 3- ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
- 4- ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्य विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है, ले सकता है।
- 5- ट्रस्ट किसी से ऋण दान, उपहार, आग्रह भेंट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
- 6- ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
- 7- चल-अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूत, भाड़ा क्य / अनुज्ञप्ति/ बंधक भारती गिरवी, विमाजित आदि कर सकता है दे सकता है।

प्रबन्धक/सचिव/अध्यक्ष
सूर्यनाथ सिंह
चिनोफ्ट

इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय/संस्था कम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उप नियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु वह इस डीह ऑफ ट्रस्ट श्री सूर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उप नियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य

(5)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AB 106050

11

होंगे।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझें तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी

इस पार के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। श्री सुर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान ग्राम- पित्तौरपुर, पोस्ट-रेण्डा, विकास खण्ड-मल्हना, तहसील-मैहनगर, जिला-आजमगढ़ के उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित घोषित। स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्याय गिलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थित में हस्ताक्षर कर दिये है।

साक्षीगण -

नाम- श्री सुर्यनाथ सिंह पुत्र सुर्यनाथ सिंह संस्थापक / अध्यक्ष - श्री सुर्यनाथ सिंह
पता- ग्राम पित्तौरपुर, पोस्ट-रेण्डा, तहसील-मैहनगर, जिला-आजमगढ़
रेण्डा, तहसील-मैहनगर, जिला-आजमगढ़

साक्षीगण -

नाम- अशोक कुमार अशोक कुमार पुत्र
श्री. इन्द्र देव प्रसाद
पता- ग्राम-मैहनगर, आजमगढ़

मसविदाकर्ता
श्री सुर्यनाथ सिंह
प्रबन्धक / सचिव
श्री सुर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
आजमगढ़

दिनांक

(50) 255/16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



परूक पत्र

27/1/16

W 353276

हम कि दयाशंकर सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह निवासी ग्राम पित्थौरपुर पोस्ट रेण्डा
थाना- मेंहनगर,विकास खण्ड-पल्हना,तहसील-मेंहनगर जनपद-आजमगढ़ का
हूँ। मैंने एक किता दस्तावेज ट्रस्ट(न्यास) दिनांक 12.05.2011 के बही नं०-1

प्रबन्धक / सचिव
सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
दिनांक

कमशः पेज 2 पर
[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRAD

AT 139064

Handwritten signature and date: 2/1/24

खण्ड संख्या-3 पृष्ठ संख्या-35/58 पर कराकर उप निबन्धक कार्यालय
मेंहनगर में तहरीर कराकर रजिस्टर्ड कराया है। जिसमें कुछ अंकित करना
भूलवश छूट गया है जिसे पूरक पत्र के माध्यम से न्यास विलेख के ट्रस्ट के
उद्देश्य क्रम संख्या 45 के बाद क्रम संख्या-46 व 47 निम्न रूप में जोड़ा जाय।

प्रबन्धक/सचिव
सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
गिनहापुर-आजमगढ़

कमश: पेज 3 पर

Handwritten signature



48



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 139065

3

क0संख्या- 46 यदि किसी सदस्य के आसामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर ट्रस्ट/न्यास से निष्कासिक होने पर उसके स्थान पर प्रबन्ध कार्यकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें न्यासकर्ता / संस्थापक की अनुमति आवश्यक है। यह प्रक्रिया

S. P. Singh
 प्रबन्धक / सचिव
 सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
 चिनहापुर-आजमगढ़

कमश: पेज 4 पर

द. भा. सिंह



47



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 139066

4

न्यासकर्ता/संस्थापक के भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति न्यासकर्ता/संस्थापक अनुमति से 2/3 बहुमत से होगी।
 क0संख्या-47 संस्था सूर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान एवं सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय अपने प्रगति/विकास के लिए

कमश: पेज 5 पर

(Signature)
 प्रबन्धक/सचिव
 सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
 धनसाला, जयमगढ़

(Signature)



46



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 139067

5

सरकार/समाज सेवी संस्थान बैंक आदि से किसी प्रकार की सहायता दान एवं ऋण ले सकता है।

यह अंश उपरोक्त विलेख में भूलवश लिखने से छूट गया था जो कि उक्त तहरीर दस्तावेज न्यास की ही अंश है और न्यास दस्तावेज न्यास में शामिल होना चाहिए था।

कमरा: पेज 6 पर

(Handwritten signature)
 प्रबन्धक/सचिव
 स्वर्नाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
 शिलासाल - जयपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

AT 139068

अतः मन,शरीर व बुद्धि से पूर्ण स्वस्थ रुप से लाकर जारी
 दस्तावेज पूरक पत्र हाजा यह लिख देता हूँ कि उपरोक्त छूटी धारा
 मुतसब्बर दस्तावेज हाजा समझा जावे, एवं उक्त विलेख न्यास में
 शामिल समझा जावे।

अतः यह पूरक पत्र उक्त ट्रस्ट न्यास का लिख दिया
 गया कि सनद रहे व वक्त पर काम आवे।

गवाह-1 *Prithvi Kumar Sonete*
with Lendab hand MR
 दिनांक 27.01.2016 *Mehar Singh*

रामजील

रामजील

500 21477 नूतन विद्यापीठ
की सेवा हेतु नया न्यास

सुर्यनाथ सिंह
 प्रबन्धक/सचिव
 सुर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
 चिन्मगण-आजमगढ़




रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- दयाशंकर सिंह पुत्र सुपना धर सिंह स्मारक, नरपिथौर पुर पी०

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :- पागल बेली दीपताबाद नरसील महंगा जनपद उन्नाव




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दयाशंकर सिंह
प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



सूर्यनाथ सिंह
प्रबन्धक / सचिव
सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
निहापर-आजमगढ़